भिलाई इस्पात कारखाने के कोयला भण्डार में आग

2824. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1966 के अन्त में कोयला भण्डार में आग लग जाने के फलस्वरूप भिलाई इस्पात कारखाने में काफी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं और इससे कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार और बंगाल की कोयला खानों से कोयले की सप्लाई बन्द हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं; फिर भी जब भिलाई इस्पात कारखाने का कोयले का गोदाम पूरी तरह भर जाता है तब सप्लाई को कुछ समय के लिये बन्द करना पड़ता है। यह एक साधारण बात है ।

(ख) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

ताराचन्द मजूरी बोर्ड

2825. **श्री बड़े :**
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भिलाई इस्पात कारखाने में ताराचन्द मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कारखाने के सेक्टर छः के लगभग 300 कर्मचारियों (भंगियों) को इस आश्वासन पर वैकल्पिक क्वार्टर दिये गये थे कि उन्हें अधिक अच्छे क्वार्टर दे दिये जायेंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस नये स्थान में बहुत कीचड़ है और बरसात में उनके क्वार्टरों में पानी आ जाता है और वहां सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव निकल आते हैं जिनसे इन भंगियों के जीवन को हर समय खतरा रहता है ;

(ग) क्या इन लोगों के क्वार्टरों की छतें फूस की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) ताराचन्द मजूरी बोर्ड की सिफारिशें मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के वेतन के ढांचे तथा सेवा की शर्तों के बारे में हैं, अतः वे भिलाई इस्पात कारखाने पर लागू नहीं होतीं ।

(ख) और (ग). जिस समय सैक्टर छः का विकास नहीं हुआ था उस समय तीन सौ परिवार जिन में भंगी भी सम्मिलित थे सेक्टर छः के साथ वाले इलाके में बहुत अस्वस्थ्यकारी दशा में रहते थे । इसलिए नगर-प्रबन्धक इन लोगों से मिले और इनसे दूसरे स्थानों पर बसने के लिए कहा । ये निवासी, जिनमें 52 भिलाई इस्पात कारखाने के नहीं थे, इस बात पर राजी हो गये । 7 भंगियों ने यह स्वीकार कर लिया कि वे अपना प्रबन्ध स्वयं कर लेंगे । शेष परिवारों को तीन बस्तियों में बांट दिया गया जो उनके काम के स्थान के निकट थीं ।

पुरानी अप्राधिकृति बस्ती में पानी बिजली और शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी । नई बस्तियों में पानी, बिजली आदि का पर्याप्त प्रबन्ध है और इनमें फ्लश की टट्टियां हैं । सांप आदि का डर भी नहीं है परन्तु यह सारे भिलाई नगर में एक सा ही है । चूंकि भंगियों की नयी बस्तियां बसे हुये इलाके में स्थित हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे लोगों की तुलना मे भंगियों को ज्यादा खतरा है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) 10,000 के लगभग स्थायी कर्मचारी भी फूस की छत वाले मकानों में रह रहे हैं । इन सबको अपनी बारी पर अच्छे निवास-स्थान मिलेंगे ।

Export of Human Hair through S.T.C.

2827. **Shri Mahammed Koya:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether there is any dispute between the State Trading Corporation and the Devaswam authorities at Tirupathi about sharing of the profit accrued from the export of human hair;

(b) if so, the nature of the dispute; and

(c) Government's reaction thereto?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

बीकानेर डिवीजन में नये रेलवे स्टेशन

2828. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीजन में ऐसे कितने नये रेलवे स्टेशन खोले जायेंगे, जिनकी मांग की गई थी और वे किन स्थानों पर खोले जायेंगे ; और

(ख) उन में से किन स्टेशनों को प्राथमिकता दी जायेगी और उनके कब बना दिये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). बीकानेर डिवीजन में 8 ट्रेन हाल्ट स्टेशन खोलने का विचार है । उनके स्थान इस प्रकार हैं :—

1. हिसार और चडौद स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन ।
2. सिरसा और बड़ागुढ़ा स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन ।
3. सादूल शहर और बनवाली स्टेशन के बीच हाल्ट स्टेशन ।